

समाहरणालय, मधेपुरा
(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक 2952 / सा0सु0को0.

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला।
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा,
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज।

विषय:-

मधेपुरा, दिनांक 06-07-13 /
चालू वित्तीय वर्ष-2013-14 में राज्य योजनावर्गत इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना
(सामान्य घटक) में पेंशनधारियों को द्वितीय किस्त नगद पेंशन भुगतान हेतु कुल रु-
4,31,100=00 (चार लाख एकतीस हजार एक सौ) रुपये मात्र का उपावंटन।

प्रसंग:-


निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, बिहार- पटना के पत्र सं0-01/सा0सु0 बजट-ई0गा0रा0नि0पे0-13/2013-
स0क0-35 पटना, दिनांक-28/06/2013

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98 एवं 7729
दिनांक-26.07.2012 में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यदेश सं0-1001 दिनांक-14.05.2013 के आलोक
में पेंशनधारियों को द्वितीय किस्त नगद पेंशन भुगतान हेतु संलग्न विवरणी के स्तम्भ-5 के अनुसार कुल रु 4,31,100=00
(चार लाख एकतीस हजार एक सौ) रुपये मात्र का उपावंटित किया जाता है।

- 2- उपावंटित राशि मॉग सं0-51, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-03-राष्ट्रीय सामाजिक
सहायता कार्यक्रम, लघु शीर्ष-101- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना उप-शीर्ष-0102-इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता
पेंशन योजना, विषय शीर्ष-31 06- सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड संख्या-p-2235031010102
तथा स्कीम कोड-WEL-5499 से विकलनीय होगा।
- 3- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे उपावंटित राशि कोषागार से निकासी कर शिविर के माध्यम से
पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- 4- जिस मद में राशि उपावंटित की गई है उसे उसी मद में व्यय किया जायगा।
- 5- उपावंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा को निश्चित रूप से उपलब्ध
करायी जाय।
- 6- उपावंटित राशि का विवरणी संलग्न है।
उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन


जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।

वित्तीय वर्ष-2013-14 में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना (समान्य घटक) के तहत पेंशन भुगतान हेतु सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा (31 06) मद में प्रखण्डवार/निकायवार द्वितीय उपावंटन तालिका:-

क0	प्रखण्ड/नगर निकाय का नाम	पेंशनधारियों की संख्या	पूर्व उपावंटित राशि	वर्तमान में उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि
1	2	3	4	5	6
1	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा	13	11700	23400	35100
2	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर	12	10800	21600	32400
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया	20	18000	18000	36000
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धैलाढ़	18	16200	16200	32400
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शंकरपुर	4	3600	7200	10800
6	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुमारखण्ड	10	9000	18000	27000
7	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरलीगंज	21	18900	18900	37800
8	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज	375	60300	121800	182100
9	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, ग्वालपाड़ा	15	13500	13500	27000
10	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहारीगंज	112	100800	100800	201600
11	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर	0	0	0	0
12	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चौसा	42	37800	50400	88200
13	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुरैनी	17	15300	15300	30600
14	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा	0	0	6000	6000
15	कार्यापालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज	0	0	0	0
	कुल योग :-	659	315900	431100	747000

मो0 (चार लाख एकतीस हजार एक सौ रुपये मात्र।


जिला पदाधिकारी,
मधेपुरा।